


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2102/2013.....जिला.....जोधपुर.....

उनवान— मै0 एस के इण्डस्ट्रीज, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल—बी, जोधपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2015	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री वी. सी. सोगानी प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी. पी. औझा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 2102/2013/जोधपुर जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">                       (मनोहर पुरी)                      सदस्य                 </p>	